

भारत सरकार  
भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्रालय  
भारी उद्योग विभाग

लोक सभा

तारांकित प्रश्न सं. \*9

जिसका उत्तर सोमवार, 07 जुलाई, 2014 को दिया जाना है

भारी उद्योगों की स्थापना

\*9. श्री अर्जुन राम मेघवाल:

क्या भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

- (क) देश के विभिन्न भागों में गत दो पंचवर्षीय योजनाओं के दौरान योजना-वार कितने भारी उद्योगों की स्थापना की गई और लाभ तथा घाटे सहित उनका कारोबार कितना रहा;
- (ख) क्या सरकार का विचार देश के पिछड़े क्षेत्रों में और अधिक भारी उद्योगों की स्थापना करने का है जिससे औद्योगिक विकास को बढ़ावा दिया जा सके और विशेष रूप से ऐसे क्षेत्रों से बेरोजगार युवाओं का पलायन रोका जा सके और यदि हां, तो तत्संबंधी राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार ब्यौरा क्या है; और
- (ग) क्या सरकार ने देश में भारी उद्योगों के विकास हेतु कोई राष्ट्रीय नीति बनाई है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्री  
(श्री अनंत ग. गीते)

(क) से (ग): विवरण सभापटल पर रख दिया गया है।

भारी उद्योग की स्थापना के संबंध में श्री अर्जुन राम मेघवाल द्वारा पूछे गए दिनांक 07.07.2014 के लोक सभा तारांकित प्रश्न सं. 09 का भाग (क) से (ग) के उत्तर में उल्लिखित विवरण।

(क और ख): चूंकि उद्योग राज्य का विषय है, इसलिए देश के विभिन्न भागों में स्थापित किए गए भारी उद्योगों के लिए इस विभाग में कोई केन्द्रीकृत आंकडा नहीं रखा जाता है।

पिछले तीन वित्तीय वर्षों के दौरान केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों जिनमें भारी उद्योग विभाग द्वारा प्रशासित केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यम शामिल हैं, के कारोबार तथा लाभ-हानि का ब्यौरा लोक उद्यम सर्वे 2012-13 के खण्ड। के विवरण संख्या 15 और 3 में उपलब्ध है जिसे संसद के दोनों सदनों के पटल पर पहले ही दिनांक 20 फरवरी, 2014 को रख दिया गया है।

(ग): जी, नहीं। तथापि, भारी उद्योग विभाग, भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्रालय का संबंध तीन औद्योगिक क्षेत्रों अर्थात हेवी इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग उद्योग, हेवी इंजीनियरिंग उपकरण और मशीन टूल उद्योग तथा ऑटोमोटिव उद्योग से है। इन क्षेत्रों के विकास के लिए, मंत्रालय ने ऑटोमोटिव मिशन प्लान, नैशनल इलेक्ट्रिक मोबिलिटी मिशन प्लान 2020, इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट इंडस्ट्री मिशन प्लान, केपिटल गुड्स स्कीम तैयार की हैं।

\*\*\*\*\*